[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 21st October, 2014

S.O.2734(E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.No.2370(E) dated 3.10.2008 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 31, "Adhiparasakthi Health and Social Upgradation Programme" by "Adhiparasakthi Charitable, Medical, Educational and Cultural Trust, Melmaruvathur, District Kancheepuram – 603 319, Tamilnadu", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 67.30 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11; which was extended further for a period of three years vide Notification number S.O.1396(E) dated 14.06.2011 ending with financial year 2013-14; and which was further extended vide notification number S.O.1936 (E) dated 31.7.2014 for a period of one year ending with financial year 2014-15.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 7 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Adhiparasakthi Health and Social Upgradation Programme", which is being carried out by "Adhiparasakthi Charitable, Medical, Educational and Cultural Trust, Melmaruvathur, District Kancheepuram – 603319, Tamilnadu", without any change in the approved cost of Rs.67.30 crore, for a further period of two years, i.e., for financial years 2015-16 and 2016-17.

[No. 56 /2014 / F.No.V.27015/2/2014-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena) Deputy Secretary (National Committee) (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 🏒 अक्तूबर, 2014

सां0आ0 273 4 (अ0): जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2370 (अ0) द्वारा केन्द्र सरकार ने "अधिपराशिक चेरिटेबल, मेडिकल, एडयूकेशनल एवं कलचरल ट्रस्ट, मेलमारुवाथूर, जिला कांचीपुरम - 603 319, तिमलनाडु" द्वारा "अधिपराशिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक उन्नयन कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए 67.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 31 पर अधिसूचित किया था ; जिसे आगे दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 1396 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 1936(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के सात वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "अधिपराशिक चेरिटेबल, मेडिकल, एडयूकेशनल एवं कलचरल ट्रस्ट, मेलमारुवाथूर, जिला कांचीपुरम - 603 319, तिमलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "अधिपराशिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक उन्नयन कार्यक्रम" की परियोजना अथवा स्कीम को, 67.30 करोड़ रुपये की अनुमोदिल लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, आगे दो वर्षों की अविध अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं0 56 /2014/ फा0सं0 वी.27015/2/2014-एस ओ(एन0सी0)]

(मक्खन लोल मीना) उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)